"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2016—भाद्र 18, शक 1938

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुनिल कुमार कुजूर, (भाप्रसे-1986), प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, एवं प्रमुख सचिव, मान. राज्यपाल तथा राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त को केवल प्रमुख सचिव, मान. राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है.

2. श्री अशोक कुमार अग्रवाल, (भाप्रसे-2000), आयुक्त, आबकारी एवं पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन) विभाग, तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, मान. राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-1/2015/1/5.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 द्वारा वर्ष 2016 के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (1881 का क्र. 26) के अंतर्गत जारी अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक अवकाश की अनुसूची में क्रमांक 10 पर एवं सामान्य अवकाश की सूची (अ) में क्रमांक 14 पर "ईद-उल-जुहा (बकरीद)" हेतु सोमवार दिनांक 12 सितंबर, 2016 को अवकाश घोषित किया गया है.

2. भारत सरकार के आदेश क्रमांक F 12/11/2016-JCA 2 दि. 06-09-16 के द्वारा "ईद-उल-जुहा (बकरीद)" के पर्व हेतु दिनांक 12 सितंबर, 2016 के स्थान पर दिनांक 13 सितंबर 2016 को अवकाश की घोषणा की गई है. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा सोमवार दिनांक 12 सितंबर 2016 के स्थान पर मंगलवार दिनांक 13 सितंबर 2016 को "ईद-उल-जुहा (बकरीद)" पर्व के लिए सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-7/2016/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 08-6-2016 द्वारा कवर्धा विकास योजना 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

कवर्धा विकास योजना 2021 के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	घोटिया प.ह.नं. 19	20/8	0.172 हे.	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
		24/4	0.198 हे.	प्रस्तावित मार्ग व कृषि	मार्ग छोड़कर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
		25/5	0.239 हे.	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
		26/7 (27/7, 28/10, 29/7)	1.011 हे.	प्रस्तावित मार्ग व कृषि	मार्ग छोड़कर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
		26/2 (27/1, 28/1, 29/2)	1.011 हे.	मार्ग	मार्ग

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण शैक्षणिक प्रयोजन हेतु.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कवर्धा विकास योजना 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण कवर्धा विकास योजना 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक/एफ 7-10/2016/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, विआशा, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 18-07-2016 से 30-07-2016 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक 16, 17 एवं 31-07-2016 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ध्रुव गुप्ता आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, विआशा, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्रमांक 2519/एफ 29/01/2016/13/2/ऊ.वि.—यतः, राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक या आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त मंदी के कारण राज्य में संचालित उद्योग यथा 20 एम.व्ही.ए. तक के सभी इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन संयंत्र, राईस/दाल मिल, साल्वेंट प्लांट, फैरो एलॉयज, आयरन ओर पेलेट प्लांट, आयरन बेनिफिसिएशन प्लांट अथवा दोनों तथा अन्य लघु एवं मध्यम उद्योग जिसमें सम्मिलित है सभी डाऊन स्ट्रीम एवं विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री फार्म, एग्रीकल्चर एवं एलाईड और अन्य कनेक्शन तथा ऐसे मिनी स्टील उद्योग एवं फैरो एलॉयज इकाईयां जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 02 मिलियन टन तक है जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से खपत की गई बिजली का उपभोग कर रहे हैं, के बंद होने की स्थिति में, इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के बड़ी संख्या में बेरोजगार होने की संभावना तथा राज्य के राजस्व पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष पैकेज के अंतर्गत दिनांक 15 सितम्बर, 2015 से 31 मार्च, 2016 की कालावधि में लागू विद्युत शुल्क में विभिन्न रियायतों को लोकहित में 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च 2017 तक बढ़ाया जाना आवश्यक एवं समीचीन है;

और यतः छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की अनुसूची के भाग-क के सरल क्रमांक 10 एवं 13 में उपभोक्ताओं की क्षमता 15000 अश्वशक्ति के स्थान पर 20 एमव्हीए बढ़ाया जाना आवश्यक है;

और यतः, राज्य के ऐसे स्टील उद्योग एवं फैरो एलॉयज उद्योग, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 02 मिलियन टन से अधिक है और स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली की खपत कर रहे हैं, के लिये विद्युत शुल्क को 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की कालावधि के लिये विद्यमान 15 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करना आवश्यक है;

और यतः, राज्य के निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उत्पादन कंपनी, केप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक जो राज्य को एनर्जी (वेरियेबल) कॉस्ट पर बिजली की आपूर्ति नहीं कर रही है, के सहायक उपभोग तथा उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिए, विद्युत शुल्क, जो "टैरिफ" का 15 प्रतिशत है, के स्थान पर लागू टैरिफ आदेश में दर्शित एवरेज कॉस्ट आफ सप्लाई का 15 प्रतिशत उद्ग्रहित करना आवश्यक है ;

और यतः, राज्य के निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उत्पादन कंपनी, केप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक जो राज्य को एनर्जी (वेरियेबल) कॉस्ट पर बिजली की आपूर्ति कर रही है, के सहायक उपभोग तथा उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिए, विद्युत शुल्क, जो "टैरिफ" का 15 प्रतिशत है, के स्थान पर 01 अप्रैल, 2016 अथवा वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख, जो भी बाद में हो, से 12 वर्ष तक टैरिफ आदेश

में एवरेज कॉस्ट आफ सप्लाई का 10 प्रतिशत और तत्पश्चात् एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का तत्समय प्रवृत्त दर से उद्ग्रहित करना आवश्यक है, परन्तु यह कि इन उत्पादकों पर 31 मार्च, 2016 की स्थिति में, विद्युत शुल्क और ब्याज का भुगतान, बकाया नहीं है;

अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 3-ब तथा धारा 3-स द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो तत्काल प्रभावी होगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,—

1. अनुसूची के भाग-क के सरल क्रमांक 10 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"10	20 एम.व्ही.ए. तक के सभी इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन संयंत्र, राईस/दाल मिल, साल्वेंट प्लांट, फैरो एलॉयज, आयरन ओर पेलेट प्लांट, आयरन बेनीफिसिएशन प्लांट अथवा दोनों तथा अन्य लघु एवं मध्यम उद्योग जिसमें सम्मिलित है सभी डाऊन स्ट्रीम एवं विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री फार्म, एग्रीकल्चर एवं एलाईड और अन्य कनेक्शन.	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	15 सितम्बर 2015 से 31 मार्च 2017 तक 3 प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 6 प्रतिशत."

2. अनुसूची के भाग-क के सरल क्रमांक 13 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"13	ऐसे सभी उपभोक्ता जो 20 एमव्हीए से अधिक भार से संबंधित है और जो ऊपर उल्लेखित किसी भी समूह में सम्मिलित नहीं है तथा 150 अश्वशक्ति से अधिक भार के गैर औद्योगिक उपभोक्ता (जिसमें घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ता सम्मिलित है), शॉपिंग मॉल, अन्य सामान्य प्रयोजन उच्च दाब उपभोक्ता एवं 150 अश्वशक्ति से अधिक भार वाले सभी स्टोन क्रशर.	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	20 प्रतिशत."

3. अनुसूची के भाग-ग के सरल क्रमांक 19 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"19	ऐसे मिनी स्टील उद्योग एवं फैरो एलॉयज उद्योग, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 02 मिलियन टन तक है जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से खपत की गई बिजली का उपभोग कर रहे हैं.	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	15 सितम्बर 2015 से 31 मार्च 2017 तक 6 प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 15 प्रतिशत."

4. अनुसूची के भाग-ग के सरल क्रमांक 19 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़े जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"20	ऐसे स्टील उद्योग एवं फैरो एलॉयज इकाई जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 02 मिलियन टन से अधिक है जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से खपत की गई बिजली का उपभोग कर रहे हैं.	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च 2017 तक 12 प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 15 प्रतिशत.

(1)	(2)	(3)	(4)
21	राज्य के निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उत्पादन कंपनी, केप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक जो राज्य को एनर्जी (वेरियेबल) कॉस्ट पर बिजली की आपूर्ति नहीं कर रही है, के द्वारा उनके सहायक उपभोग एवं उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिए.	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	31 मार्च, 2016 तक "टैरिफ" का 15 प्रतिशत तथा तत्पश्चात 01 अप्रैल 2016 से टैरिफ आदेश में दर्शित एवरेज कॉस्ट आफ सप्लाई की दर का 15 प्रतिशत.
22	राज्य के निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उत्पादन कंपनी, केप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक जो राज्य को एनर्जी (वेरियेबल) कॉस्ट पर बिजली की आपूर्ति कर रही है, के द्वारा उनके सहायक उपभोग एवं उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिए.	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	31 मार्च, 2016 तक "टैरिफ" का 15 प्रतिशत तथा तत्पश्चात 01 अप्रैल 2016 अथवा वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख, जो भी बाद में हो, से 12 वर्ष तक टैरिफ आदेश में एवरेज कॉस्ट आफ सप्लाई का 10 प्रतिशत तथा तत्पश्चात् एवरेज कॉस्ट आफ सप्लाई का तत्समय प्रवृत्त दर से."

5. अनुसूची के टीप 4 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़े जायें, अर्थात् :—

"5. **सरल क्रमांक 21 एवं 22 में शब्द "टैरिफ" की व्याख्या :—** राज्य के निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन कंपनी, केप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा उपभोग किए गए तथा उनके सहायक उपभोग के लिए और उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिए देय विद्युत शुल्क का आंकलन, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित से, उत्पादन प्रारंभ करने के लिए प्राप्त विद्युत पर अथवा विद्युत सप्लाई प्राप्त करने की स्थिति में, तत्समय प्रवृत्त टैरिफ आदेश में दर्शित स्टार्टअप पॉवर हेतु टैरिफ के 15 प्रतिशत के अनुसार किया जायेगा.

6. **निजी विद्युत उत्पादक को रियायत की पात्रता :—** सरल क्रमांक 22 में सम्मिलित निजी क्षेत्र के ऐसे विद्युत उत्पादक जिन पर सहायक उपभोग पर देय विद्युत शुल्क की राशि बकाया है, तो उन्हें 01 अप्रैल, 2016 अथवा वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख, जो भी बाद में हो, से 12 वर्ष तक एवरेज कॉस्ट आफ सप्लाई का 10 प्रतिशत तथा तद्पश्चात् एवरेज कॉस्ट आफ सप्लाई की दर का तत्समय प्रवृत्त दर से विद्युत शुल्क के भुगतान की सुविधा, दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति में उनसे विद्युत शुल्क, ब्याज सहित भुगतान प्राप्त होने पर ही, प्राप्त होगी."

No. 2519/F 29/01/2016/13/2/ED.—Whereas, the State Government is of the opinion that in the event of closure of industries operating in the State, such as All Steel Plants, Rolling Mills, Sponge Iron Plants, Rice/Dal Mill, Solvent Plant, Ferro Alloys, Iron ore Pellet Plant, Iron beneficiation Plant or combination thereof and other Small and Medium industries including all downstream and manufacturing units, Poultry Farm, Agriculture and Allied and other connections upto 20 MVA and such Mini Steel Plant and Ferro Alloys units having capacity upto 2 Million Ton Per Annum (MTPA) which are consuming electricity generated from its own captive power plants, due to recession in industrial/financial sector, it may cause large scale unemployment of workers engaged in the industry and in view of adverse impact on the revenue of the State it is necessary and it is expedient in public interest to extent various connessions in electricity duty applicable for the period between 15th September, 2015 to 31st March, 2016 under Special Package from 1st April, 2016 to 31st March, 2017;

And Whereas, it is necessary to increase the capacity of consumer in serial number 10 and 13 of Part-A of the Schedule of the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949), up to 20 MVA in place of 15,000 HP;

And Whereas, electricity duty on such Steel and Ferro Alloys industries of the State having capacity more than 2 MTPA and consuming electricity generated from its Captive Power Plant requires to be reduced from existing 15% to 12% for the period between 1st April, 2016 and 31st March, 2017 ;

And Whereas, such Generating Company,Captive Generating Plant and Producer of Private/Public Sector of the State, which are not supplying power at Energy (Variable) charges to the state, it is necessary to levy 15% of Average Cost of Supply indicated in the applicable tariff order in place of electricity duty which is 15% of "the tariff", for electricity for auxiliary consumption and their own consumption;

And Whereas, such Generating Company, Captive Generating Plant and Producer of Private/Public Sector of the State, which are supplying power at Energy (Variable) charges to the State, it is necessary to levy 10% of Average Cost of Supply in the tariff order from 1st April 2016 or date of commercial production, whichever is later, till 12 years and thereafter at the rate of Average Cost of Supply for time being in force in place of electricity duty which is 15% of 'the tariff', provided that in case on 31st March, 2016 payment of electricity duty along with interest is not due on these producers, for electricity for auxiliary consumption and their own consumption;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3-B and Section 3-C of the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Schedule of the said Act with immediate effect, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Act,—

1. For serial number 10 and entries relating thereto of Part-A of the Schedule, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"10	All Steel Plant, Rolling Mills, Sponge Iron Plants, Rice/Dal Mill, Solvent Plant, Ferro alloys, Iron ore Pellet Plant, iron Beneficiation Plant or combination thereof and other Small and Medium industries including all down stream and manufacturing units, Poultry Farm, Agriculture and Allied and other connections up to 20 MVA.	On all consumed units	3 percent with effect from 15th September 2015 to 31st March 2017 and thereafter 6 percent."

2. For serial number 13 and entries relating thereto of Part-A of the Schedule, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"13	All such consumers with connected load above 20 MVA and non included in any of the groups mentioned above and non industrial consumer of above 150 HP (including domestic and non-domestic consumers), Shopping Mall, other general purpose HT consumer and Stone Crushers having load above 150 HP.	On all consumed units	20 percent."

3. For serial number 19 and entries relating thereto of Part-C of the Schedule, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"19	All such Mini Steel Plant and Ferro Alloys unit having capacity upto 2 Million Ton Per Annum (MTPA) which are consuming electricity generated from its captive power plants.	On all consumed units	6 percent with effect from 15th September 2015 to 31st March 2017 and thereafter 15 percent."

4. For serial number 19 and entries relating thereto of Part-C of the Schedule, the following shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"20	Such Steel Plant and Ferro Alloys unit having capacity above 2 Million Ton Per Annum (MTPA) which are consuming electricity generated from its captive power plants.	On all consumed units	12 percent with effect from 1st April, 2016 to 31st March 2017 and thereafter 15 percent."
21	For the electricity consumed by the Generating Company, Captive Generating Plants and Producers of Private/Public Sector of the State, who are not supplying power at Energy (Variable) charges to the State, for their auxiliary consumption and their own consumption.	On all consumed units	15 percent of 'Tariff' till 31st March, 2016 and thereafter 15 percent of rate of average cost of supply indicated in the tariff order from 1st April, 2016.
22	For the electricity consumed by the Generating Company, Captive Generating Plants and Producers of Private/Public Sector of the State, who are supplying power at Energy (Variable) charges to the State, for their auxiliary consumption and their own consumption.	On all consumed units	15 percent of 'Tariff' till 31st March, 2016 and thereafter 10 percent of average cost of supply in the tariff order from 1st April, 2016 or date of commercial production, whichever is later, till 12 years and thereafter at the rate of the average cost of supply for time being in force."

5. After note 4 of the Schedule, the following shall be added, namely :—

"5. **Interpretation of word "tariff" in serial number 21 and 22.—** Electricity Duty payable for electricity consumed by Generating Company, Captive Generating Plant and producer of private/ public sector of the State and for their auxiliary consumption and their own consumption, shall be commuted as per 15 percent of tariff for Start up Power indicated in the tariff order for time being in force, on the electricity received by them from Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited for commencement of generation or in the event of supply to be received.

6. **Eligibility for concession of private electricity producer :—** Such electricity producer of private sector included in serial number 22, on which amount of electricity duty on auxiliary consumption is due, then they shall have the facility of paying electricity duty of 10 percent of average cost of supply from 1st April 2016 or the Commercial Production, whichever is later, till 12 years and thereafter at the rate of the average cost of supply for the time being in force, only in case of 31st March, 2016 payment of electricity duty along with interest has been received from them."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम्, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्रमांक/2269/8/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	कुसमी	कंचनटोली प.ह.नं. 24	27.242	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-बलरामपुर, रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	लोहरा ढोढा कंचनटोली

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्रमांक/2270/5/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	शंकरगढ़	खैराडीह प.ह.नं. 12	1.047	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	व्यपवर्तन सिंचाई योजना खैराडीह.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्रमांक/2271/6/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	शंकरगढ़	जारगीम प.ह.नं. 12	1.182	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	व्यपवर्तन सिंचाई योजना जारगीम.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्रमांक/2272/2/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	कुसमी	रातासिली प.ह.नं. 15	5.816	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	बेनगंगा जलाशय योजना रातासिली.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्रमांक/2273/3/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	कुसमी	घुटराडीह प.ह.नं. 14	8.189	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	बेनगंगा जलाशय योजना घुटराडीह.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बलरामपुर, दिनांक 9 मई 2016

क्रमांक/3649/4/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	कुसमी	नटवरनगर प.ह.नं. 14	19.708	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर, रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	बेनगंगा जलाशय योजना नटवरनगर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/805/02/अ-82/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	भुवालपुर प.ह.नं. 40	3.299	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	रेगाबोड़ - कुण्डा व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्रमांक/826/09/अ-82/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	बनियाकुबा प.ह.नं. 42	2.310	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	रेगाबोड़ - कुण्डा व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्रमांक/828/17/अ-82/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	खैरझिटी नया प.ह.नं. 39	1.731	अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग उप संभाग लोरमी, संभाग मुंगेली.	सहसपुर व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्रमांक/830/18/अ-82/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	खैरझिटी नया प.ह.नं. 39	2.742	अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग उप संभाग लोरमी, संभाग मुंगेली.	सहसपुर व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्रमांक/832/16/अ-82/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	प्राणकापा प.ह.नं. 39	1.328	अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग उप संभाग लोरमी, संभाग मुंगेली.	सहसपुर व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्रमांक/834/14/अ-82/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	कापादाह प.ह.नं. 21	2.751	अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग उप संभाग लोरमी, संभाग मुंगेली.	सहसपुर व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्रमांक/836/15/अ-82/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	प्राणकापा प.ह.नं. 39	7.451	अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग उप संभाग लोरमी, संभाग मुंगेली.	सहसपुर व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्रमांक/838/19/अ-82/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	सावंतपुर प.ह.नं. 22	4.988	अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग उप संभाग लोरमी, संभाग मुंगेली.	सहसपुर व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/66/भू-अर्जन/वाचक/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	बालपुर	1.142	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग बलौदाबाजार.	बालपुर से मोहतरा पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 5/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	चुक्तीपानी प.ह.नं. 2	2.536	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही जिला- बिलासपुर (छ.ग.)	बाड़ीखार जलाशय की नहर एवं डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 8/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
अकबइ(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	लिटियासरई प.ह.नं. 9	3.419	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही जिला- बिलासपुर (छ.ग.)	लिटियासरई जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12189/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	पिहरीद प.ह.नं. 13	0.052	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया, जिला-रायगढ़.	भूतहा सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12193/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	पिहरीद प.ह.नं. 13	0.105	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया, जिला-रायगढ़.	अमेराडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13374/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	आमनदुला प.ह.नं. 03	0.068	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया, जिला-रायगढ़.	पोता उपवितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13376/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	नगझर प.ह.नं. 11	0.106	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया, जिला-रायगढ़.	नगझर सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13378/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बंदोरा प.ह.नं. 21	0.061	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया, जिला-रायगढ़.	करिगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13380/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	भड़ोरा प.ह.नं. 02	0.089	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया, जिला-रायगढ़.	रबेली माइनर 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13382/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	भड़ोरा प.ह.नं. 14	0.045	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया, जिला-रायगढ़.	भड़ोरा माइनर 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13386/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	चमरवाह प.ह.नं. 09	0.275	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया, जिला-रायगढ़.	खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13388/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	हरदी प.ह.नं. 07	0.311	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया, जिला-रायगढ़.	कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 16 अगस्त 2016

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-लंगड़ासांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.208 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
320	0.064
324/2	0.048
552	0.096
योग	0.208

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोमनी व्यपवर्तन योजना के उप-नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 अगस्त 2016

रा.प्र.क्र./10/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-एरण्ड
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
47	0.195
48	0.156
51/7	0.607
51/9	0.078
योग	1.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोमनी व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 अगस्त 2016

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-सरस्वतीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.704 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
173/2	0.056

(1)	(2)
286/433/1	0.012
267/1	0.025
122	0.036
288/434/2	0.016
286/433/2	0.012
222/1	0.024
223	0.014
115	0.108
298/2	0.050
118/2	0.090
149/3	0.072
117	0.084
158	0.077
224	0.020
286/434/1	0.012
116	0.057
286/433/3	0.010
113/1	0.060
434/3	0.016
114	0.072
166	0.052
53	0.012
342/2	0.062
149/1	0.016
149/5	0.032
144	0.072
52	0.036
182/7	0.024
161	0.096
267/2	0.008
182/5	0.016
112	0.368
118/4	0.021
182/2	0.040
57	0.078
182/3	0.064
149/2	0.060
173/1	0.056
221	0.072
186	0.038
225	0.028
58	0.024
298/3	0.060
342/1	0.034
156	0.077
188/2	0.068
334/1	0.077
182/1	0.047
334/2	0.020
123	0.036
339/460	0.053
291	0.034
योग	2.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरस्वतीपुर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 अगस्त 2016

रा.प्र.क्र./12/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.042 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73/5 ख	0.073
73/5 क	0.073
61/18 क	0.064
61/78	0.161
61/15	0.065
61/99	0.032
61/66	0.077
61/71 क	0.283
61/5 घ	0.121
61/7 क	0.065
61/68	0.145

	(1)	(2)
	61/5 क	0.074
	61/77	0.079
	61/2ग	0.140
	61/8क	0.048
	61/6	0.048
	73/33	0.040
	61/2क	0.024
	73/16	0.081
	61/2घ	0.041
	61/71 ख	0.081
	61/18	0.032
	61/73	0.147
	61/70	0.048
योग		2.042

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ढोढाडीह व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्रमांक/279/क/भू-अर्जन/18/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-बेलर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	189	0.05
	182/2	0.02
	182/1	0.01
	181/1	0.01
	177	0.12
	191	0.14
	175	0.01
	192	0.03
योग	8	0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंच-बेलर मार्ग पर सुखा नाला में पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 अगस्त 2016

क्रमांक 6/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.969 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	103/4	0.089
	100/1	0.125
	103/17	0.036
	103/18	0.040
	103/3	0.012
	103/1	0.057
	103/8	0.020
	103/6ख	0.105
	83	0.324
	66/2	0.057
	66/1ङ	0.024
	66/1घ	0.016
	66/1ग	0.012
	66/1ख	0.016
	67	0.036
योग	15	0.969

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमरा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 05/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गौबंद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.775 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/1	0.024
7/2	0.162
10/1	0.081
9	0.186
63	0.040
10/2	0.040
44/1	0.182
55/2	0.049
23	0.040
30/6	0.109
30/2	0.109
38/3	0.146
64/1	0.121
30/1	0.008
64/2	0.081
30/3	0.101
30/5	0.154
38/2	0.065
30/4	0.040
38/5	0.081
37/1	0.065
42/2	0.040
44/3	0.162
44/2	0.008
42/1	0.202
40	0.008
41	0.049
43/2	0.008
69/2	0.008
37/2	0.040
78	0.020
45	0.121
53	0.445
59/1	0.162
54/2	0.049
49/2	0.008
52/1	0.170
52/2	0.170
55/1	0.040
55/3	0.073
65	0.008
59/2	0.174
60/3	0.020
61	0.121
62/2	0.081
77	0.142

	(1)	(2)
	76/1	0.040
	74/2	0.101
	76/2	0.061
	76/3	0.089
	75/3	0.121
	75/4	0.150
योग	52	4.775

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-उमरमरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.603 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
384	0.445
383/1	0.004
383/2	0.004
383/3	0.004
383/4	0.008
381	0.664
132	0.105
113/1	0.356
126/1	0.138
113/2	0.356
105/7	0.008
110/2	0.004
113/3	0.360
105/8	0.008
110/3	0.004
90/1	0.725
90/2	0.364
90/3	0.364
91/2	0.134
93/1	0.644
94/1	0.040
94/2	0.101
93/2	0.644
89	0.890
88/1	0.777
88/2	0.405
82, 83	0.648
87/1	0.061
87/2	0.162
87/3	0.121
95	0.121
96	1.214
97	0.045
98	0.450
100	0.121
106	0.186
103/1	0.008
103/2	0.008
103/3	0.012
99	0.061
107/3	0.012
107/1	0.012
107/2	0.008
110/1	0.008
305/1	0.632
305/2	0.299
305/3	0.129
304/1	1.028
304/2	0.668
305/4	0.040
302/3	0.097
306/1, 306/2	0.748
241	0.020
105/2	0.024
105/3	0.024
105/4	0.008

	(1)	(2)
	105/5	0.032
	105/6	0.008
	105/9	0.008
	108	0.016
	105/10	0.008
योग	61	14.603

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 27/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सागर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	497/5	0.036
योग	1	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-काठाकोनी मेड़पार मार्ग का चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 29/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लाखासार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.331 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1149/1 1149/5	0.133
1120/14 1120/17	0.069
1120/20 1120/21	0.069
741/1 742/2	0.142
737/2	0.080
1117	0.016
1118	0.028
1120/13	0.008
1120/3	0.012
993/1च	0.129
993/1क	0.137
732/1 732/2	0.105
1120/23	0.032
1120/16	0.081
1116	0.036
1120/24	0.020
1120/9	0.040
1149/2	0.040
740	0.089

	(1)	(2)
	737/1	0.065
योग	25	1.331

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-काठाकोनी मेड़पार मार्ग का चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 33/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गनियारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.129 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1165/3	0.008
	1168/1	0.061
	1168/2	0.032
	1168/3	0.101
	1168/4	0.275
	1168/5	0.097
	1169/2	0.049
	1170/2	0.008
	1170/3	0.028
	1176/1	0.032
	1176/2	0.089
	1176/3	0.085
	1176/4	0.008
	1179/1	0.129
	1180	0.028
	1190/2	0.020
	1190/3	0.105
	1191/1, 1191/4	0.182
	1191/2	0.113
	1192	0.008
	1193	0.121
	1196	0.150
	1216/1	0.210
	1217	0.081
	1218	0.016
	1179/3	0.089
	1195/3	0.004
योग	27	2.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 34/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी कला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.547 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
845	0.146

(1)	(2)
846/4	0.049
846/14	0.097
862/1	0.065
862/3	0.129
862/4	0.089
862/2	0.085
873/2	0.138
874/1	0.057
875/3	0.057
875/1	0.081
863/1	0.073
846/13	0.049
846/3	0.109
877	0.049
846/9	0.129
846/2	0.008
846/6	0.008
846/12	0.008
876/1	0.089
878/1 878/2	0.057
926/3	0.129
931/2	0.032
940	0.024
941	0.036
930/2	0.016
944	0.053
945/2	0.040
942 2460	0.049
943	0.040
945/1	0.020
926/2	0.053
924/4	0.008
945/5 945/6 945/7	0.210
945/3	0.053
950/2	0.069
951	0.004
952/1 953/1 954/1 955/1 956/1	0.194
1540/3 1541	0.057

(1)	(2)
1536	0.012
1538/2	0.016
1540/5	0.032
1540/2	0.016
1537	0.016
1539/1	0.016
1535/2	0.223
1200	0.016
1199	0.259
958	0.166
1554 1555	0.182
1556	0.206
972/1	0.012
1540/1	0.275
1206	0.093
1137/11	0.146
1207/1	0.028
1545	0.061
1207/2	0.020
1216	0.008
924/7	0.016
924/3	0.016
924/5 925/6	0.016
924/2 925/3	0.024
926/1	0.053
924/1 925/2	0.032
928/1 929/1	0.040
928/2 929/3	0.081
928/3 929/4	0.061
934/3	0.089
934/2	0.008
932	0.057
931/1	0.020
925/4	0.008
952/2 953/2 954/2 955/2 956/2	0.016

(1)	(2)
971 974/1 974/2 975	0.085
1217	0.024
972/2	0.036
973	0.089
992	0.016
993	0.028
994	0.154
995	0.012
996 997/1	0.008
1534	0.016
1535/1	0.024
1218	0.028
1219	0.142
1137/4	0.012
1141/1	0.020
1137/5	0.170
1140	0.101
1137/7	0.081
1138	0.012
1139	0.008
1089 1090 1091 1092 998 1085	0.065
1086/1	0.02
1086/2	0.219
1137/10	0.016
1086/3	0.162
योग 128	6.547

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्रमांक/आब./स्था./2016/3906.—छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा-2012 की मुख्य सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवार श्री मुकेश पाण्डेय को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/आब./स्था./2016/3552 रायपुर दिनांक 29-07-2016 के द्वारा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला रायगढ़ में पदस्थ किया गया था उसमें आंशिक संशोधन किया जाकर उन्हें कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला मुंगेली में आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक/आब./स्था./2016/2580/रायपुर दिनांक 02-06-2016 के द्वारा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला मुंगेली में श्री नितिन कुमार को आबकारी उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया था को कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला रायगढ़ में आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

अशोक कुमार अग्रवाल,
आबकारी आयुक्त.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 23 अगस्त 2016

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 114 बी 121/2015-16.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम गोतमा, प.ह.नं. 34, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा/34	12/2	0.102
			334/3	0.152
			932/2	0.032
		योग	**3**	**0.286**

टीप :— भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 अगस्त 2016

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 115 बी 121/2015-16.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सिहा, प.ह.नं. 35, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	सिहा/35	446/2क	0.016
			446/2ख	0.016
			469	0.020
			463/5	0.059
			335/7	0.135
			437	0.012
			451/1	0.210
		योग	**7**	**0.468**

टीप :— भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

पी. के. सर्वे,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 17th August 2016

No. 589/Confdl./2016/II-2-90/2001 (Pt. III).—(A) Shri Deepak Kumar Tiwari, Member of Higher Judicial Service and presently posted as District & Sessions Judge, Rajnandgaon is appointed as Registrar (Inspection and Enquiry) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

(B) Shri Jaideep Garg, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional District & Sessions Judge, Kondagaon is appointed as Additional Registrar (Judicial) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 23rd August 2016

No. 596/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The following Member of Lower Judicial Service, as mentioned in column No. (2) of the table below, who is holding the post of Civil Judge Class-II and who has been posted on deputation as mentioned in column No. (3) vide State Government's Order No. 7854/2319/XXI-B/C.G./16 dated 17-08-2016, is hereby promoted and appointed on the post of Senior Civil Judge on proforma basis, from the date he assumes charge of his post.

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Posted as (3)
1.	Shri Digvijay Singh	Secretary, District Legal Services Authority, Durg.

Bilaspur, the 24th August 2016

No. 6963/CSJA/Orien Course ADJ 2016 Batch/16.—The following promoted Additional District & Sessions Judge, 2016 Batch as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report at the Chhattisgarh State Judicial Academy, (CSJA), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 13-09-2016 by 9.00 A.M. for undergoing the Orientation Course Phase-I scheduled to be held from 13th September, 2016 to 24th September, 2016.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Addl. District & Sessions Judge (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Sr.)	II Additional District & Sessions Judge, Bilaspur
2.	Smt. Tajeshwari Devi Dewangan	IX Additional District & Sessions Judge, Raipur
3.	Shri Pankaj Sharma	VII Additional District & Sessions Judge, Durg
4.	Shri Deepak Kumar Gupta	VIII Additional District & Sessions Judge, Durg
5.	Shri Sunil Kumar Nande	Additional District & Sessions Judge, Raipur
6.	Shri Manoj Kumar Singh Thakur	Additional District & Sessions Judge of the Special Court for trail of naxalite cases at Dantewara.
7.	Smt. Mamta Patel	II Additional District & Sessions Judge, Mahasamund
8.	Smt. Heemanshu Jain	II Additional District & Sessions Judge, Korba
9.	Shri Anish Dubey	II Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge, Raigarh.
10.	Shri Shahabuddin Qureshi	I Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge, Raigarh.
11.	Shri Rakesh Kumar Verma	I Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge, Raipur.
12.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Jr.)	I Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge, Durg.
13.	Shri Ashish Pathak	III Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge, Raigarh.
14.	Shri Bhanu Pratap Singh Tyagi	II Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge, Raipur.
15.	Smt. Neeru Singh	II Additional District & Sessions Judge, Surguja (Ambikapur).
16.	Shri Atul Kumar Shrivastava	III Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge, Raipur.
17.	Shri Lavakesh Pratap Singh Baghel	IV Additional District & Sessions Judge, Surguja Ambikapur.

(1)	(2)	(3)
18.	Shri Anand Prakash Wariyal	Additional District & Sessions Judge, Jashpur at Kunkuri.
19.	Shri Chandra Kumar Kashyap	IV Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge, Raipur.
20.	Shri Shrikant Shrivas	II Additional District & Sessions Judge, Rajnandgaon
21.	Shri Ajay Singh Rajput	Additional Director, CSJA, Bilaspur
22.	Shri Siddharth Agrawal	Deputy Secretary, Law, Law & Legislative Affairs Department, Chhattisgarh Bhawan, New Delhi.

The above mentioned Additional District & Sessions Judge are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

1. Civil Procedure Code (annotated)
2. Criminal Procedure Code
3. Indian Penal Code
4. The Evidence Act (annotated)
5. The Motor Vehicles Act
6. The Limitation Act (annotated)
7. The Court Fees Act (annotated)
8. The Stamp Act (annotated)
9. Rules & Orders (Civil & Criminal)

Bilaspur, the 24th August 2016

No. 599/Confdl./2016/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Akhil Kumar Samanta Ray, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur is transferred and appointed as Officer-On-Special Duty in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 26th August 2016

No. 606/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and ;

The following members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Nirmal Minj, District & Sessions Judge.	Dantewara	Rajnandgaon	Rajnandgaon	District & Sessions Judge.
2.	Shri Vinay Kumar Kashyap, District & Sessions, Judge.	Kondagaon	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Shri Onkar Prasad Gupta, President District Consumer Disputes Redressal Forum.	Kawardha	Kondagaon	Kondagaon	District & Sessions Judge.
4.	Shri Santosh Sharma, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act.	Ambikapur	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 26th August 2016

No. 611/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vijay Kumar Minj, II Additional District & Sessions Judge.	Balod	Balod	Balod	I Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Dukhiram Dewangan, IV Additional District & Sessions Judge.	Raigarh	Sarangarh	Raigarh	Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Govind Narayan Jangade, Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Kondagaon	Kondagaon	Additional District & Sessions Judge.

The Registry Order No. 570/Confdl./2016/II-2-1/2016 dated 12-08-2016, so far it relates to the transfer of Shri Govind Narayan Jangade, Additional District & Sessions Judge, Raipur as II Additional District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, cancelled.

Bilaspur, the 26th August 2016

No. 613/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following Senior Civil Judge, as specified in Column No. (2), who has been promoted and appointed as District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government vide its order/endt. bearing No. 7169/2079/XXI-B/C.G./2016 dated 30-07-2016, is transferred from the place specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) and posted in the capacity as specified in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Sinior Civil Judge, as specified in Column No. (2), who has been promoted and appointed as District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government, is appointed as Additional Sessions

Judge for the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Anish Dubey, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Korba	Raigarh	Raigarh	II Additional District & Sessions Judge.

The Registry Order No. 572/Confdl./2016/II-2-1/2016 dated 12-08-2016, so far it relates to the transfer of Shri Anish Dubey, I Civil Judge Class-I & C.J.M., Korba as II Additional Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, cancelled.

Bilaspur, the 26th August 2016

CORRIGENDUM

No. 615/Confdl./2016/II-3-1/2016.—In Registry Order No. 577/Confdl./2016/II-3-1/2016 dated 12-08-2016 :

1. Column No. 6 in Sl. No. 3 be read as Civil Judge Class-I instead of II Civil Judge Class-I and;

2. Column No. 6 in Sl. No. 5 be read as II Civil Judge Class-I instead of Civil Judge Class-I.

By order of Hon,ble the Chief Justic,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 24th August 2016

No. 65/L.G./2016/II-2-18/2006.—Shri Ganpat Rao, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 05 days from 19-07-2016 to 23-07-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rao, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+06 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th August 2016

No. 66/L.G./2016/II-2-5/2006.—Shri Ravi Shankar Sharma, Registrar (I & E) and I/c S & A Cell, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 08 days from 19-07-2016 to 26-07-2016 along with permission to leave headquarters from the morning of 19-07-2016 till 26-07-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 280 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th August 2016

No. 67/L.G./2016/II-2-21/2006.—Shri Deepak Kumar Tiwari, District & Sessions Judge, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 06 days from 18-07-2016 to 23-07-2016 along with permission to leave headquarters from 16-07-2016 to 24-07-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th August 2016

No. 68/L.G./2016/II-3-35/2007.—Shri Ramashankar, Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted commuted leave for 10 days from 13-07-2016 to 22-07-2016.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ramashankar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 424 days of half-pay- leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th August 2016

No. 69/L.G./2016/II-2-13/2009.—Shri Gautam Chouradia, Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted commuted leave for 89 days from 21-04-2016 to 18-07-2016.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouradia, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 290 days of half-pay- leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
OMPRAKASH SINGH CHOUHAN, Additional Registrar (ADMN.).